न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 40/23 GCMS NO 2023/104

मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज ग्राम जीवद पुजारी द्वारका प्रसाद पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मीना मंदिर वाली ढाणी ग्राम जीवद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रत्तीराम पुत्र कानजी मीना
2. बाबू पुत्र कल्याण मीना
3. राजेश पुत्र कल्याण मीना
4. भीमसिह पुत्र कल्याण मीना
5. मनीषा पुत्री बलराम मीना
6. अंकिता पुत्री बलराम मीना
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 21/22 निर्णय व डिकी दिनांक 9.01.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 21.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 9.01.2023 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र इस्तकरार हक खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सम्वत 2010 की भूमि बंदोबस्त के अनुसार आराजी ख0न0 805 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा , 806 रकबा 5 विस्वा, 807/1 रकबा 13 विस्वा, 807/2 रकबा 1 विस्वा, 808 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा , 809 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 810 रकबा 10 विस्वा, 811 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 812 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, 813 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, 814 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, कुल किता 11 कुल रकबा 19 बीघा 1 विस्वा स्थित थी। सम्वत 2010 से पूर्व वादीगण के पिताजी कान्जी,चाचा मुकन्दा व कल्याण उक्त भूमि के उपकृषक थे तथा बतौर खातेदार सम्वत 2010 से पूर्व ही उक्त वर्णित उपकृषक उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है, मुकन्दा लाऔलाद फौत हो गया , कल्याण के पुत्र बलराम का भी निधन हो गया। बलराम की पत्नि नरेशी बलराम के छोटे भाई बाबू के नाते बैठ गई, बलराम की दो पुत्रियां है जिनको दावे मे पक्षकार बनाया गया है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर दिया गया तथा मंदिर के भोग विलास के लिए एन्यूटी नियत कर दी गई तथा अधिनियम की धारा 9 के तहत वादीगण के पिताजी कान्जी ,चाचा मुकन्दा व कल्याण [illegible] कल्लू जाति मीना निवासी जीवद को उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित [illegible] भूमि के नये नम्बर 482 रकबा 13 विस्वा, 483 रकबा 18 बीघा [illegible] विस्वा कुल किता [illegible] कुल रकबा 19 बीघा 1 विस्वा कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कर दिये तथा वादीगण के पिताजी कान्जी व चाचा उक्त भूमि को बतौर खातेदार काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे है। वर्तमान सेटलमेंट मे एकीकरण ख0न0 482 के नये नम्बर 1472 रकबा 0.06 है0 तथा एकीकरण ख0न0 483 के नये नम्बर 1452 रकबा 1.11 है0, 1454 रकबा 0.19 है0, 1455 रकबा 0.38 है0, 1456 रकबा 0.47 है0, 1457 रकबा 0.19 है0, 1458 रकबा 0.19 है0, 1469 रकबा 0.19 है0, 1470 रकबा 0.11 है0, 1471 रकबा 0.14 है0, 1474 रकबा 0.12 है0, 1475 रकबा 0.13 है0, 1476 रकबा 0.13 है0, 1477 रकबा 0.15 है0, 1478 रकबा 0.12 है0, 1479 रकबा 0.09 है0, 1480 रकबा 1.16 है0, 1481 रकबा 0.26 है0 कायम किये है, लेकिन सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकार के गलत रूप से वादीगण की खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दिया, जिसका सेटलमेंट विभाग को खातेदारी मे नाम परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो मे यह स्पष्ट है कि अधिनियम से पूर्व ऐसे खातेदार, जो कि मंदिर की भूमि पर खातेदार पट्टेदार या खादिमदार के रूप मे काश्त कर रहे थे तथा उपकृषक के रूप मे दर्ज थे, अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत इस प्रकार की भूमियो को पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है और यदि सेटलमेंट विभाग द्वारा ऐसी भूमियो को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो उक्त भूमियो से मंदिर का नाम विलोपित किया जाकर खातेदार का नाम पुनः दर्ज किया जावे। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दिया । जिसके संबंध मे वादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियो से आपत्ति प्रस्तुत कर मंदिर का नाम विलोपित नही किया गया तथा किये गये गलत इन्द्राज को सही भी नही किया गया। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर मंदिर का पुजारी वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकी देता है। जबकि उसको वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार नही है। अतः वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम जीवद मे स्थित भूमि साबिक ख0न0 482 के नये नम्बर 1472 रकबा 0.06 है0 तथा एकीकरण ख0न0 483 के नये नम्बर 1452 रकबा 1.11 है0, 1454 रकबा 0.19 है0, 1455 रकबा 0.38 है0, 1456 रकबा 0.47 है0, 1457 रकबा 0.19 है0, 1458 रकबा 0.19 है0, 1469 रकबा 0.19 है0, 1470 रकबा 0.11 है0, 1471 रकबा 0.14 है0, 1474 रकबा 0.12 है0, 1475 रकबा 0.13 है0, 1476 रकबा 0.13 है0, 1477 रकबा 0.15 है0, 1478 रकबा 0.12 है0, 1479 रकबा 0.09 है0, 1480 रकबा 1.16 है0, 1481 रकबा 0.26 है0 के संदर्भ मे प्रतिवादी संख्या 1 मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान जीवद का नाम हजफ किया जावे तथा वादीगण को उक्त आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.1.23 ... मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को ही आधार मानकर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की कोई विधिक तुलना नही कर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के विरूद्व एक्स पार्टी मे पारित की है अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना इस प्रकार का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वाद पत्र मे वर्णित पक्षकारो के मध्य उक्त आराजीयात को लेकर पूर्व मे वाद चले थे इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय रेसज्यूडीकेटा से भी बाधित है और विधि का स्पष्ट सिद्वान्त है कि समान पक्षकारो के मध्य पूर्व मे वाद चले हो तथा विषय वस्तु समान हो तो पुनः नया दावा लाकर कार्यवाही नही की जा सकती है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का मुख्य आधार यह रहा कि सम्वत 2010 मे वादीगण उप कृषक थे एक तरफ उक्त आराजीयात को खालसा मे परिवर्तन दर्शाया जबकि राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि शुरू से ही वाद मे वर्णित आराजीयात मंदिर की भूमि रही है तथा टीनेन्सी एक्ट मे स्पष्ट प्रावधान है कि मंदिर माफी की आराजीयात को किसी भी रूप से किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी मे दर्ज नही की जा सकती है। एक तरफ वादीगण ने यह वाद पत्र मे दर्शाया की भू प्रबंध विभाग ने उनकी खातेदारी की भूमि को माफी मंदिर के नाम दर्ज कर दी है जबकि ऐसा नही है। इस प्रकार वाद पत्र मे लिए गये समस्त आधार आपस मे विराधाभासी है इन समस्त बातो पर गौर किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वाद पत्र को डिक्री किये जाने का मुख्य आधार राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.5.07 व 25.11.2011 रखा है जो कि उक्त प्रकरण मे पर लागू ही नही होते है इन परिपत्रो के मुताबिक सिर्फ पूर्व का खातेदार,पटटेदार,खादिमदार पर ही लागू होते है। जबकि वादीगण के नाम इन तीनो बिन्दु ही नही है तथा जागीर एक्ट 1992 मे भी उक्त आराजीयात मंदिर की भूमि रही है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आपसी साज कर न्यायालय को धोखा देकर सहित तथ्य नही बताकर जल्दबाजी मे पारित की है इसका सबसे वडा प्रमाण यह है कि स्वयं वादीगण रत्तीराम व राजेश के बयान तहत न्यायालय मे बतौर मौखिक साक्ष्य दर्ज हुए है किसी भी स्वतंत्र साक्षी के बयान तक नही कराये है तथा टीनेन्सी एक्ट मे मंदिर माफी की भूमि को किसी भी पक्षकार के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है, इन बातो पर गौर किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को सुने बिना एक्स पार्टी पारित की है। अपीलांट मंदिर का पुजारी है अपीलांट को हल्का पटवारी द्वारा पुछने पर कि मंदिर के खाते की नकल चाहिए इस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 15.6.23 को कहा कि यह जमीन अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से वादीगण/रेस्पो0 के नाम लग गई है। इस प्रकार जानकारी होने पर नकल प्राप्त की। वैसे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आती है और शून्य आदेश पर कोई मियाद प्रभावी नही होती है । इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर रद्दद्व कराया जा सकता है। अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र संलग्न है। इस प्रकार अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

टीनेन्सी एक्ट के ...

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि सम्वत 2010 की भूमि बंदोबस्त के अनुसार आराजी ख0न0 805 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा , 806 रकबा 5 विस्वा, 807/1 रकबा 13 विस्वा, 807/2 रकबा 1 विस्वा, 808 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा , 809 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 810 रकबा 10 विस्वा, 811 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 812 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, 813 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, 814 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, कुल किता 11 कुल रकबा 19 बीघा 1 विस्वा स्थित थी। सम्वत 2010 से पूर्व रेस्पो/वादीगण के पिताजी कान्जी,चाचा मुकन्दा व कल्याण उक्त भूमि के उपकृषक थे तथा बतौर खातेदार सम्वत 2010 से पूर्व ही उक्त वर्णित उपकृषक उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है, मुकन्दा लाऔलाद फौत हो गया , कल्याण के पुत्र बलराम का भी निधन हो गया। बलराम की पत्नि नरेशी बलराम के छोटे भाई बाबू के नाते बैठ गई, बलराम की दो पुत्रियां है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर दिया गया तथा मंदिर के भोग विलास के लिए [illegible] नियत कर दी गई तथा अधिनियम की धारा 9 के तहत रेस्पो/वादीगण के पिताजी कान्जी चाचा मुकन्दा व कल्याण पुत्रगण कल्लू जाति मीना निवासी जीवद को उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया गया। एकीकरण के दौरान उक्त भूमि के नये नम्बर 482 रकबा 13 विस्वा, 483 रकबा 18 बीघा 8 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 1 विस्वा कायम कर दिये तथा रेस्पो/वादीगण के पिताजी कान्जी व चाचा उक्त भूमि को बतौर खातेदार काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे है। वर्तमान सेटलमेंट मे एकीकरण ख0न0 482 के नये नम्बर 1472 रकबा 0.06 है0 तथा एकीकरण ख0न0 483 के नये नम्बर 1452 रकबा 1.11 है0, 1454 रकबा 0.19 है0, 1455 रकबा 0.38 है0, 1456 रकबा 0.47 है0, 1457 रकबा 0.19 है0, 1458 रकबा 0.19 है0, 1469 रकबा 0.19 है0, 1470 रकबा 0.11 है0, 1471 रकबा 0.14 है0, 1474 रकबा 0.12 है0, 1475 रकबा 0.13 है0, 1476 रकबा 0.13 है0, 1477 रकबा 0.15 है0, 1478 रकबा 0.12 है0, 1479 रकबा 0.09 है0, 1480 रकबा 1.16 है0, 1481 रकबा 0.26 है0 कायम किये है, लेकिन सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकार के गलत रूप से रेस्पो/वादीगण की खातेदारी की भूमि को अपीलांट के नाम से दर्ज कर दिया, जिसका सेटलमेंट विभाग को खातेदारी मे नाम परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो मे यह स्पष्ट है कि अधिनियम से पूर्व ऐसे खातेदार, जो कि मंदिर की भूमि पर खातेदार ,पटटेदार या खादिमदार के रूप मे काश्त कर रहे थे तथा उपकृषक के रूप मे दर्ज थे, अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत इस प्रकार की भूमियो को पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है और यदि सेटलमेंट विभाग द्वारा ऐसी भूमियो को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो उक्त भूमियो से मंदिर का नाम विलोपित किया जाकर खातेदार का नाम पुनः दर्ज किया जावे। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने रेस्पो/वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दिया । उक्त गलत इन्द्राज की आड मे अपीलांट द्वारा रेस्पो/वादीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण ही वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का यह कथन झूठा एवं मनगढन्त है क्योकि अपीलांट/प्रतिवादीगण की और से श्री लक्ष्मीकांत शर्मा वकालतन उपस्थित हुए है और उनको जबाब दावा प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये गये तथा जबाब दावा पेश करने के अवसर भी प्रति[illegible]/रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा चाहे गये है। परन्तु उनके द्वारा जबाब दावा पेश नही [illegible] गया है तथा अपनी उपस्थित ही अधिनस्थ न्यायालय मे बद कर दी ग[illegible]स्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन विश्लेषण किया गया है एवं विवादित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट तहसीलदार बरनाला से प्राप्त की गई है। तहसीलदार बरनाला से प्राप्त रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख है कि जिसमे करीब 6 व्यक्तियो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच द्वारा पारित निर्णय का पूर्ण रूप से अवलोकन किया जाकर एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो का विधिवत रूप से अवलोकन किया जाकर तथा रेस्पो/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से साबित होने पर ही विधि के प्रावधानो के तहत निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि सम्वत 2010 मे भूमि खसरा न0 805 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 806 रकबा 5 विस्वा, 807/1 रकबा 13 विस्वा, 807/2 रकबा 1 विस्वा, 808 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा , 809 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 810 रकबा 10 विस्वा , 811 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 812 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, 813 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, 814 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, कुल रकबा 19 बीघा 11 विस्वा मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान जीवद की खातेदारी मे दर्ज है। लेकिन जमाबंदी मे खुद काश्त कान्जी,मुकन्दा,कल्याण के नाम दर्ज है। मुकन्दा लाऔलाद फौत हो चुका है जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के मुताबिक सम्वत 2010 मे पुजारी के अलावा खुद काश्त दीगर व्यक्ति के नाम दर्ज है तथा उसे खातेदारी प्रदान कर दी गई है तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है। सेटलमेंट द्वारा वादीगण के नाम की खातेदारी मंदिर के नाम दर्ज की है वह गलत है। जबकि उक्त भूमि मे रत्तीराम पुत्र कान्जी हिस्सा 1/2 व बाबू, राजेश, भीमसिह पुत्रान कल्याण व मनीषा पुत्री बलराम व अंकिता पुत्री बलराम की खातेदारी मे दर्ज की है वह उचित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 21/22 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.1.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.4.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner